न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

बी0बी0सी0 अपील वाद सं0–214/2017–18

श्रम अधीक्षक, बाढ़ **बनाम** ओम प्रकाश

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	**2**	**3**
16.07.2021	**आदेश** प्रस्तुत अपील श्रम अधीक्षक, बाढ़ के द्वारा गृह नियंत्रक सह अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के न्यायालय में संचालित वाद सं0 06 (H.C)/15 में दिनांक–13.12.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध बी0बी0सी0 एक्ट की धारा–24 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक–07.09.2017 को अपीलकर्ता अनुपस्थित। अंतिम मौका दिया गया। दिनांक–22.02.2018 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर निम्न न्यायालय का अभिलेख़ मांग करते हुए विपक्षी पर नोटिस निर्गत किया। दिनांक–03.11.2018 को विपक्षी की ओर से वकालतनामा सहित समयावेदन दाखिल किया गया। विपक्षी की ओर दिनांक–08.02.2021 को प्रत्युतर दाखिल किया। निम्न न्यायालय का अभिलेख पूर्व में प्राप्त। दिनांक–20.03.2021 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई की तिथि 17.05.2021 निर्धारित की गयी। दिनांक–16.07.2021 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन करने एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गृह नियंत्रक सह अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के न्यायालय में संचालित बी0बी0सी0 वाद सं0 06 (H.C)/15 में दिनांक–13.12.2016 को पारित आदेश नियमानुकूल एवं तर्क संगत है। निम्न न्यायालय के द्वारा किराया निर्धारण करने के पूर्व आस–पास के कार्यालय का निर्धारित किराया दर को आधार मानते हुए निर्धारित किया है, जो उचित है। गृह नियंत्रक सह अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है। अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। 16.7.21 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	